न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 53/2022 (2022/178)

1. जगन्नाथ पुत्र कल्याण जाति रेगर निवासी कोहडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर।

उपस्थित:-

---प्रतिवादी

1. श्री रामसिंह राठौड–वादीअधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी–प्रतिवादी

वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 89 राज. काश्त. अधि. व धारा 136 राज.लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

-:: निर्णय ::-

दिनांक 06/02/23

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। पक्षकरान उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्त. अधि. व धारा 136 राज.लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम कोहडा तहसील केकड़ी में स्थित आराजी का विवरण निम्न प्रकार है–

जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अनुसार

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1–1	146	6.57 हैक्ट	बरानी 1

जमाबंदी संवत 2041 के अनुसार

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
247–1	67 मिन	4 बीघा	बरानी 3

दिनांक 20.10.1975 को आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम पंचातय कालेडा कृष्णगोपाल में ग्राम कोहडा के आराजी खसरा नम्बर पुराना 67 रकबा 6.67 हैक्टर में से 4 बीघा वादी के नाम आवंटन की गई थी। इमरोज आवंटन दिनांक को वदी ने अपने आवंटनशुदा जमीन का कब्जा हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा बताए गये चिन्हित स्थान पर प्राप्त किया। कब्जा सुपुर्दगी के पश्चात वादी ने काफी रूपये खर्च कर उपजाउ बनाया। कब्जा सुपुर्दगी की दिनांक से ही वाद वर्णित आराजी पर एक मात्र कब्जा काश्त स्वामित्व आधिपत्य वादी का ही चला आ रहा है। जिसका हाल खसरा नम्बर 146 है। वादग्रस्त आराजीयात नामान्तरण संख्या 224 से 226/75 दिनांक 30.11.1975 को वादी के नाम गैर खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई तब से ही वादी निरन्तर आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है व वादी का आज भी मौके पर कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 67 मिन के नए खसरा नम्बर 146 है जो राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी सम्वत 2049 से 2058 व 2059 से 2062 में सिवायचक काबिज काश्त रही तथा जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 में सरकारी भूमि दर्ज हुई। वर्तमान जमाबंदी संवत 2067 से 2075 में भी सरकारी भूमि दर्ज है,

उपखण्ड अधिकारी, केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

जो कि राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी आदेश दर्ज की है जबकि आराजी पर आवंटन के समय से ही वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है व वर्तमान में भी मौके पर वादी ही काबिज काश्त है। वादी द्वारा दिनांक 10.02.2022 को उक्त आराजीयात की नकले तहसील कार्यालय केकड़ी निकलवायी तब जानकारी हुई कि उक्त अराजीयात वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है जो कतई गलत है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से जमाबंदी बनायी जाकर माल गुजारी कायम किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी जर्ये पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब सरकार निम्नानुसार है–

1. ग्राम कोहडा की वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 243 में खसरा नम्बर 67 मिन रकबा 04 बीघा जगन्नाथ पुत्र कल्याण कौम रेगर सा.देह के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। वदी के पक्ष में दिनांक 13.11.1975 को खसरा नम्बर 67 मिन में से 04 बीघा भूमि आवंटन होकर आवंटन सूचि की क्रम संख्या 55 पर वादी का नाम दर्ज है। आवंटन के फलस्वरूप नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 01.06.1984 वादी के पक्ष में स्वीकार किया गया। साबिक खसरा नम्बर 67 मिन के हाल खसरा नम्बर 52, 146, 143/1606, 143/1606/1682 बने।
2. ग्राम कोहडा के हाल खसरा नम्बर 146 रकबा 6.57 हैक्ट में से 0.64हैक्ट पर वादी का कब्जा कशत है। चूंकि वर्तमान में खसरा नम्बर 146 सिवायचक खाते में दर्ज होने से वादी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत समय–समय पर कार्यवाही की जाती रही है। भ0अ0निरी कालेडा कृष्णगोपाल द्वारा प्रस्तुत हाल मानचित्र खसरा नम्बर 146 में वादी द्वारा काश्त की जा रही भूमि को दर्शाते हुए मानचित्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

तहसीलदार केकड़ी / भू–अभिलेख कालेडा कृष्णगोपाल द्वारा वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 243, नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 01.06.1984, आवंटन सूचि दिनांक 30.11.1975 सूची क्रमांक 55 एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार सिवायचक खसरा नम्बर 146 रकबा 6.57 हैक्टर में से रकबा 0.64 हैक्टर पर जगन्नाथ पुत्र कल्याण जाति रेगर निवासी कोहडा गैर खातेदार दर्ज किया जाना प्रस्तावित बताया है।

आदेश

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पेरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम व धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी ग्राम कोहडा तहसील केकड़ी के खसरा नम्बर 146 रकबा 6.57 हैक्टर में से भू–अभिलेख कालेडा कृष्णगोपाल द्वारा नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रस्तावित किये गये अनुसार रकबा 0.64 हैक्टर पर जगन्नाथ पुत्र कल्याण जाति रेगर निवासी कोहडा गैर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड/राजस्व मानचित्र में आदेशानुसार इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner